न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 102/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. कैलाश पुत्र रिछपाल जाति ब्राहमण निवासी कोलिला जोगा, तह0 नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:---- प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 महेश चन्द पुत्र घीसालाल जाति जोगी निवासी बुचाहेडा तह0 कोटपूतली (राजस्थान)

:--- वादी रेस्पो0

2 उमेश पुत्र बुधराम जाति ब्राहमण निवासी कोलिला जोगा तह0 नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

3 विजेन्द्र पुत्र रामौतार जाति ब्राहमण निवासी कोलिला जोगा तह0 नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:----- तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा व डिक्री उपखंड अधिकारी, नीमराणा दिनांक 25.5.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री दिनेश यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :- उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 27/8/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, नीमराणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 3318/15 में पारित निर्णय दिनांक 25.5.18 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी असल रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 138/0.44, 139/0.21, 140/0.32 वाके ग्राम माजराकाठ तहसील नीमराणा जिला अलवर के 1/18 भाग का वादी खातेदार है । उक्त आराजी वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की थी और वक्त खरीद जहां पर वादी को कब्जा दिया गया था, वहीं पर वादी काबिज है । परन्तु प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में मजाहमत करते हैं । अतः उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी में अपीलांट का 1/18 भाग, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/9 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 भाग व रेस्पो0 संख्या 1 वादी का 1/18 भाग है । मुकदमा हाला में तारीख 11.1.2018 को आगामी तारीख 26.4.2018 तनकमी कायम के लिऐ नियत थी व दिनांक 26.4.18 के बाद दिनांक 2.5.18 नियत की गई थी । तथा तहत न्यायालय ने राजस्व कैम्प में दिनांक 25.5.18 को वाद पत्र का निस्तारण कर दिया । इसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही अपीलांट के ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर कराये गये थे । ना ही हमारे वकील साहब के हस्ताक्षर कराये गये थे । वादी रेस्पो0 ने आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 138 रकबा 44 एयर का अपना 1/18 भाग कैलाश देवी पत्नि रामचन्द्र को दिनांक 29.5.15 को, खसरा नम्बर 139 रकबा 21 एयर, 140 रकबा 32 एयर का अपना 1/18 भाग मालसिंह पुत्र प्रभूसिंह को बेच दिया । वादी रेस्पो0 ने अपने हिस्से की भूमि वाद दायर करने से पूर्व ही बेच दी थी, ऐसी स्थिति में उसे वाद दायर करने का अधिकार नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बयनामा की फोटो प्रति के अवलोकन से सिद्ध है कि वादी असल रेस्पो0 महेश चन्द पुत्र घीसालाल जाति जोगी ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर दिया था तथा कब्जा विक्रेता को सम्भला दिया था । धारा 188 आर0 टी0 एक्ट का वहीं व्यक्ति दावा ला सकता है जो रिकार्ड में खातेदार हो, काबिज हो तथा लगान देता हो । चूंकि वादी असल रेस्पो0 ने आराजी का बेचान कर दिया था और कब्जा क्रेता को सम्भला दिया था तो ऐसी स्थिति उसे स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने का अधिकार नहीं है । इस ओर विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और विधि विरूद्ध वाद पत्र डिक्री कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2018 निरस्त किये जाते हैं ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ...

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 102/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कैलाश पुत्र रिछपाल जाति ब्राहमण निवासी कोलिला जोगा, तह0 नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:---- प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 महेश चन्द पुत्र घीसालाल जाति जोगी निवासी बुचाहेडा तह0 कोटपूतली (राजस्थान) वगैरा

:-- रेस्पो0

:----- तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा व डिक्री उपखंड अधिकारी, नीमराणा दिनांक 25.5.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :– उपस्थित नहीं ।

पर्चा डिक्री दिनांक 27/8/19.

---------- ----------------

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दि0 25.5.18 निरस्त किये जाते हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर